भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 68/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ),- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, यथा:-

क्र.सं.	देश का नाम
“35	नाइजर गणराज्य
36	गिनी गणराज्य”

[फा.सं. 354/189/2005-टीआरयू (खण्ड II)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्,त 2008 को सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 46/2016- सीमा शुल्क, दिनांक 23 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 813 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।